



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 26, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रुझान: Q1 FY26	2
2. केंद्र ने FY27 के लिए उधार अनुमानों में कटौती की	4
3. नागा शांति वार्ता में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री: एनएससीएन (आईएम) ने कदम का स्वागत किया.....	5
4. उत्तर प्रदेश में रक्षा विनिर्माण और आर्थिक विकास	7
5. अरुणाचल की सुबनसिरी अपर जलविद्युत परियोजना को समिति की मंजूरी मिली	8
6. भारी बारिश के कारण सिक्किम के गांव में भीषण भूस्खलन.....	10
7. आईआईटी-दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाले उपकरणों के लिए स्वदेशी ग्राफिक्स चिप विकसित की ..	12
8. कमजोर होते संयुक्त राष्ट्र में संस्थागत सुधार की आवश्यकता	13
9. केरल ने केंद्र से ईको-सेंसिटिव एरिया को केवल वनों तक सीमित करने का आग्रह किया	15
10. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और नियुक्ति की गतिशीलता.....	17
11. नया मॉडल द्विपक्षीय निवेश समझौता और भारत की विदेशी निवेश रणनीति	18
12. शांति (SHANTI) अधिनियम के तहत EPR प्रौद्योगिकी की तैनाती और नियामक सुधार.....	20

1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रुझान: Q1 FY26

प्रमुख अंश और सारांश

- **आवक में वृद्धि:** वर्तमान वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून (Q1) अवधि के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 6% बढ़कर \$19.81 बिलियन तक पहुंच गया, जो FY25 की इसी अवधि में दर्ज किए गए \$18.62 बिलियन से अधिक है।
- **अमेरिकी आवक में गिरावट:** संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले पूंजी प्रवाह में तेज संकुचन देखा गया, जो इसी तिमाही के दौरान 76% से अधिक गिर गया।
- **संस्थागत डेटा रिपोर्टिंग:** आधिकारिक निवेश के आंकड़े उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे।
- **आर्थिक लचीलापन:** समग्र रूप से ऊपर की ओर रुझान क्षेत्रीय गिरावट के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में विदेशी निवेशकों के निरंतर विश्वास को रेखांकित करता है।

- **क्षेत्रीय चालक:** विनिर्माण, सेवाएं, डिजिटल प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विकास सहित रणनीतिक क्षेत्रों द्वारा इस निरंतर गति को भारी समर्थन मिल रहा है।
- **वैश्विक बाजार गतिशीलता:** अमेरिका जैसे विशिष्ट न्यायालयों से गिरावट वैश्विक मौद्रिक नीतियों में बदलाव, ब्याज दर के अंतर और स्थानीय स्तर पर निवेशकों के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरी राष्ट्र में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश, जो स्थायी हित और महत्वपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण स्थापित करता है।
- **DPIIT:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत की एफडीआई नीति को तैयार करने, निगरानी करने और सुव्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय नोडल एजेंसी।
- **स्वचालित मार्ग (Automatic Route):** एक ऐसा प्रवेश मार्ग जहाँ विदेशी निवेशकों को भारत सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सरकारी मार्ग (Government Route):** एक ऐसा प्रवेश मार्ग जिसके तहत विदेशी निवेश की प्रक्रिया शुरू होने से पहले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग से स्पष्ट पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में सीमा पार पूंजी लेनदेन, व्यापार संतुलन और एफडीआई प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानूनी ढांचा।
- **फेमा गैर-ऋण उपकरण नियम, 2019:** फेमा के तहत बनाए गए वैधानिक नियम जो विदेशी पूंजी के लिए इक्विटी निवेश, क्षेत्रीय सीमाओं और अनुपालन जनादेशों को नियंत्रित करते हैं।
- **संवैधानिक आवंटन (संघ सूची):** सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 246, प्रविष्टि 36 (विदेशी मुद्रा) और प्रविष्टि 41 (विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य) के साथ पढ़ा जाने पर, संसद में विशेष विधायी शक्ति निहित करता है।
- **एफडीआई नीति परिपत्र:** डीपीआईआईटी द्वारा समय-समय पर अद्यतन किया जाने वाला समेकित ढांचा जो क्षेत्र-विशिष्ट सीमाओं, नीतिगत शर्तों और प्रवेश मार्गों को निर्दिष्ट करता है।

निष्कर्ष

यद्यपि Q1 में एफडीआई आवक में कुल 6% की वृद्धि एक उभरते बाजार केंद्र के रूप में भारत के दीर्घकालिक आकर्षण को दर्शाती है, अमेरिकी पूंजी में भारी कमी बाहरी वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव को इंगित करती है। लचकदार विदेशी आवक सुरक्षित करने के लिए विदेशी निवेश स्रोतों का विविधीकरण करना और व्यापार सुगमता में सुधार करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

Annual FDI Inflows (FY21 – FY26)

India attracted USD 58.8 billion in FDI equity inflows in FY26, up 17.65% from the previous year. This was the second consecutive year of growth after three years of declining inflows, bringing FDI close to FY21 levels.

Annual FDI Equity Inflow (in USD Billion)



Source: Reply in Lok Sabha by Ministry of Commerce & Industry

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – भारतीय अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और निवेश मॉडल)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** क्षेत्रीय इक्विटी सीमाएं, फेमा 1999 के तहत वैधानिक अनुपालन, एफडीआई चैनल (स्वचालित बनाम सरकारी), और एफडीआई अस्थिरता को प्रभावित करने वाले व्यापक-आर्थिक कारक।

2. केंद्र ने FY27 के लिए उधार अनुमानों में कटौती की

प्रमुख अंश और सारांश

- **उधार लक्ष्य में कटौती:** केंद्र सरकार ने FY27 के लिए अपने बाजार उधार अनुमान को लगभग ₹1.2 ट्रिलियन कम कर दिया है, और अब FY27 की दूसरी छमाही (H2) में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से ₹7.86 ट्रिलियन जुटाने की योजना बना रही है।
- **संशोधित वार्षिक अनुमान:** FY27 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से कुल वार्षिक सकल उधार अब ₹15.995 ट्रिलियन अनुमानित है, जो ₹17.2 ट्रिलियन के मूल केंद्रीय बजट अनुमान से कम है।
- **डेट स्विच ऑपरेशन्स का प्रभाव:** डेट स्विच ऑपरेशन्स के बाद मार्च में उधार की आवश्यकता को घटाकर पहले ₹16.09 ट्रिलियन कर दिया गया था, जिससे वर्तमान लक्ष्य मार्च के अनुमानों से लगभग ₹9,500 करोड़ कम हो गया है।
- **ऋण पुनर्गठन रणनीति:** सरकारी प्रतिभूतियों के स्विच ऑपरेशन्स में तत्काल मोचन दबावों को कम करने के लिए अल्पकालिक बॉन्ड वापस खरीदना और लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करना शामिल है।
- **केंद्रीय बैंक के साथ परामर्श:** अंतिम रूप से तैयार की गई बाजार उधार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रत्यक्ष परामर्श से तैयार की गई थी।
- **राजकोषीय समेकन का संकेत:** कम बाजार उधार निजी निवेश के बाहर होने (crowding out) के जोखिम को कम करता है और राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs):** राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक ऋण साधन, जिनमें निश्चित या फ्लोटिंग कूपन दरें होती हैं।
- **राजकोषीय घाटा:** सरकार के कुल व्यय की उसके कुल गैर-उधार प्राप्तियों पर अधिकता, जो ऋण वित्तपोषण पर निर्भरता को दर्शाती है।
- **जी-सेक स्विच ऑपरेशन्स (G-Sec Switch Operations):** एक देनदारी प्रबंधन रणनीति जहां पुनर्भुगतान दायित्वों को स्थगित करने के लिए अल्पकालिक या परिपक्वता के करीब वाले बॉन्ड का लंबी परिपक्वता वाले बॉन्ड के साथ विनिमय किया जाता है।



- **क्राउडिंग-आउट प्रभाव (Crowding-Out Effect):** एक ऐसी आर्थिक स्थिति जहां भारी सरकारी उधार ऋण योग्य धन को अवशोषित कर लेता है, जिससे ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और निजी क्षेत्र का निवेश कम हो जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 292:** संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर संघ सरकार को उधार लेने का अधिकार देता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** राजकोषीय समेकन, घाटे के लक्ष्यों और ऋण प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है।
- **आरबीआई अधिनियम, 1934 (धारा 20):** भारतीय रिज़र्व बैंक को सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने और केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने का जनादेश देता है।
- **सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 / सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006:** भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन, प्रशासन और हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा।

निष्कर्ष

FY27 के सकल बाजार उधार में कटौती सक्रिय देनदारी प्रबंधन और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाती है। स्विच ऑपरेशन्स का लाभ उठाकर और बाजार ऋण पर निर्भरता को कम करके, सरकार दीर्घकालिक संप्रभु बॉन्ड यील्ड को स्थिर करते हुए वाणिज्यिक ऋण विस्तार के लिए जगह बनाती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – भारतीय अर्थव्यवस्था (सरकारी बजट, राजकोषीय नीति, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, और पूंजी बाजार)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** राजकोषीय घाटा वित्तपोषण, एफआरबीएम अनुपालन, ऋण स्विच संचालन की कार्यप्रणाली, ऋण प्रबंधक के रूप में आरबीआई की भूमिका, और निजी निवेश पर संप्रभु उधार का प्रभाव।

Dream | Dare | Deliver

3. नागा शांति वार्ता में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री: एनएससीएन (आईएम) ने कदम का स्वागत किया

प्रमुख अंश और सारांश

- **शांति प्रक्रिया में मंत्रिस्तरीय समावेश:** नागा शांति वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता में, केंद्र सरकार प्रत्यक्ष बातचीत में एक केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय स्तर के मंत्रियों के समूह को शामिल करने पर सहमत हुई है।
- **मुख्य मांग की पूर्ति:** मंत्री-स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व को शामिल करना नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (आइजैक-मुइवा) की लंबे समय से चली आ रही एक प्रमुख मांग को पूरा करता है।

- **एनएससीएन (आईएम) द्वारा सकारात्मक स्वागत:** एनएससीएन (आईएम) ने आधिकारिक तौर पर इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय जुड़ाव राजनीतिक प्रक्रिया में तेजी लाएगा और एक स्थायी समाधान की ओर गति पैदा करेगा।
- **वार्ताकार की नियुक्ति पर अनुवर्ती कार्रवाई:** यह राजनीतिक प्रगति पूर्व संयुक्त खुफिया समिति के प्रमुख अजीत लाल को केंद्र का आधिकारिक वार्ताकार नियुक्त किए जाने के सात महीने बाद हुई है।
- **जारी सीमावर्ती अस्थिरता:** यह राजनीतिक घटनाक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही हिंसा की पृष्ठभूमि में हुआ है, जो एक स्थायी शांति समझौते की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **प्रत्यक्ष राजनीतिक बातचीत की ओर बदलाव:** नौकरशाही और खुफिया अधिकारियों से राजनीतिक कार्यकारी नेतृत्व में बातचीत का स्थानांतरण नई दिल्ली द्वारा दी गई उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **NSCN (IM):** नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (आइजैक-मुइवा), एक प्रमुख नागा उग्रवादी समूह जिसने 1997 में भारत सरकार के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- **नागा फ्रेमवर्क समझौता:** अंतिम शांति समझौते के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करने हेतु केंद्र और एनएससीएन (आईएम) के बीच अगस्त 2015 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक प्रारंभिक समझौता।
- **ग्रेटर नागालिम:** नागा समूहों द्वारा एक भू-राजनीतिक मांग जो नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में सभी नागा-आबादी वाले क्षेत्रों के एकीकरण की मांग करती है।
- **वार्ताकार (Interlocutor):** संप्रभु अधिकारियों और बातचीत करने वाले समूहों के बीच संरचित संवाद को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक आधिकारिक प्रतिनिधि।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 371A:** नागालैंड को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जो राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित न होने तक संसदीय विधानों से नागा धार्मिक/सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों और भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व/हस्तांतरण की रक्षा करता है।
- **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958:** नामित "अशांत क्षेत्रों" में सशस्त्र बलों को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने वाला विशेष कानून, जो आवधिक समीक्षा और अधिसूचना के अधीन है।
- **राज्यत्व अधिनियम, 1962 (नागालैंड):** ऐतिहासिक शांति समझौतों को संवैधानिक मान्यता देते हुए नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित।
- **सातवीं अनुसूची (संघ सूची और समवर्ती सूची):** आंतरिक सुरक्षा, रक्षा, विदेशी मामलों और अंतर-राज्यीय सीमा प्रबंधन से संबंधित केंद्रीय शक्तियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

निष्कर्ष

नागा शांति प्रक्रिया में राजनीतिक कार्यकारी नेतृत्व को शामिल करने का निर्णय भारत के सबसे पुराने उग्रवाद को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। चर्चाओं को मंत्रिस्तरीय स्तर तक बढ़ाना संस्थागत विश्वास बनाने में मदद करता है और क्षेत्रीय जातीय आकांक्षाओं के साथ राष्ट्रीय अखंडता को मिलाने का एक मार्ग प्रदान करता है।

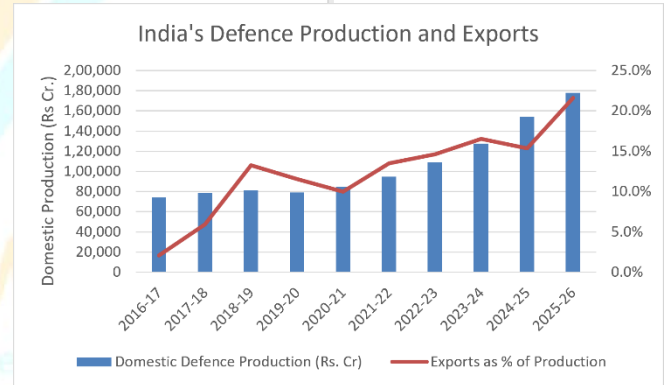
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – आंतरिक सुरक्षा (विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध, बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका) एवं सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – भारतीय संविधान (अनुच्छेद 371A के तहत राज्यों के लिए विशेष प्रावधान)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** नागा शांति प्रक्रिया का इतिहास, फ्रेमवर्क समझौता 2015, अनुच्छेद 371A का दायरा, उत्तर-पूर्व भारत में सुरक्षा गतिशीलता, और संघर्ष समाधान तंत्र।

4. उत्तर प्रदेश में रक्षा विनिर्माण और आर्थिक विकास

प्रमुख अंश और सारांश

- **घरेलू रक्षा उत्पादन:** उत्तर प्रदेश की परिवर्तित औद्योगिक इकाइयों में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलें क्षेत्रीय निवारण और सीमा सुरक्षा क्षमता को मजबूत कर रही हैं।
- **छोटे हथियारों का स्वदेशीकरण:** अमेठी में उत्पादित AK-203 असॉल्ट राइफलें आंतरिक सुरक्षा खतरों और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से तैनात हैं।
- **यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS):** UPITS के चौथे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया, जिसमें राज्य विनिर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक व्यापार वृद्धि का प्रदर्शन किया गया।
- **मजबूत जीडीपी वृद्धि प्रदर्शन:** भारत ने 7.8% की मजबूत तिमाही जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की, जो वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद आर्थिक लचीलेपन को दर्शाती है।
- **विदेशी व्यापार समझौतों का विस्तार:** भारत मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ सहित साझेदार देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से घरेलू उद्यमियों के लिए निर्यात बाजारों का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है।
- **डिफेंस कॉरिडोर रूपांतरण:** उत्तर प्रदेश में रणनीतिक विनिर्माण ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों के साथ राज्य स्तरीय औद्योगिक नीति के एकीकरण को उजागर करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **ब्रह्मोस मिसाइल:** एक भारत-रूसी संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो भूमि, समुद्र, पनडुब्बी और वायु प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित की जा सकती है।
- **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC):** रक्षा आयात निर्भरता को कम करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और यूपी में छह नोड्स में घरेलू विनिर्माण नोड्स स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक बुनियादी ढांचा परियोजना।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** दो या दो से अधिक देशों के बीच टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और कोटा को कम करने के लिए एक समझौता, जिससे निर्बाध द्विपक्षीय आयात-निर्यात व्यापार में आसानी होती है।

- **रक्षा का स्वदेशीकरण:** मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भरता बनाने और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए रक्षा उपकरणों का घरेलू डिजाइन, विकास और उत्पादन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक आवंटन (सातवीं अनुसूची):** सूची I (संघ सूची) के तहत प्रविष्टि 1 (भारत की रक्षा) और प्रविष्टि 2 (नौसेना, सैन्य और वायु सेना) रक्षा मामलों पर संसद को विशेष विधायी अधिकार प्रदान करती हैं।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए "बाय (इंडियन-IDDM)" (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणियों को प्राथमिकता देने वाले नीतिगत दिशानिर्देश स्थापित करती है।
- **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951:** प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों को विनियमित करने और रणनीतिक उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंसिंग का प्रबंधन करने के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।
- **विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992:** राष्ट्रीय आयात-निर्यात नीतियों और व्यापार समझौतों को तैयार करने और लागू करने के लिए केंद्र सरकार को कानूनी रूप से सशक्त बनाता है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में रक्षा विनिर्माण का विस्तार राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं और घरेलू औद्योगिक विकास के बीच तालमेल को प्रदर्शित करता है। एक मजबूत 7.8% जीडीपी वृद्धि दर और वैश्विक एफटीए की आक्रामक खोज के साथ मिलकर, भारत अपनी संप्रभु आर्थिक और रक्षा स्थिति को एक साथ मजबूत कर रहा है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

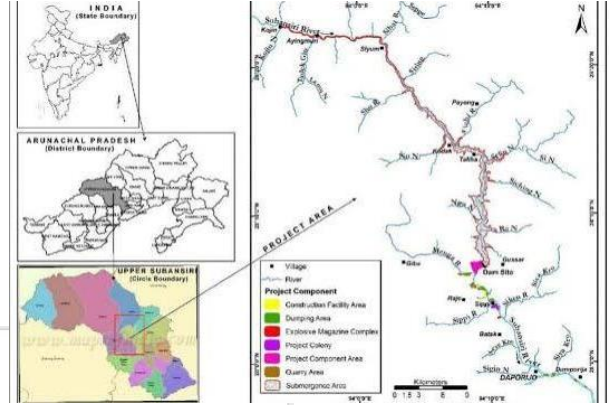
- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – सुरक्षा चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, रक्षा गलियारे) एवं सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – भारतीय अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, विदेश व्यापार, जीडीपी वृद्धि)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपी और तमिलनाडु), डीएपी 2020 नीति प्रावधान, एफटीए का आर्थिक प्रभाव, उग्रवाद विरोधी क्षमताएं, और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत)।

5. अरुणाचल की सुबनसिरी अपर जलविद्युत परियोजना को समिति की मंजूरी मिली

प्रमुख अंश और सारांश

- **विशेषज्ञ समिति की मंजूरी:** पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने अरुणाचल प्रदेश में रन-ऑफ-द-रिवर सुबनसिरी अपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (SUHEP) के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की है।
- **परियोजना विनिर्देश:** एनएचपीसी (NHPC) लिमिटेड द्वारा निष्पादित, मेंगा के पास 1,605MW की इस परियोजना में 237मीटर ऊंचा भंडारण बांध शामिल है, जो बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है।

- **पारिस्थितिकी प्रभाव की चिंताएं:** मंजूरी के लिए स्टेज-1 वन मंजूरी की आवश्यकता है क्योंकि इसमें 2,733 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन और लगभग 1,35,733 पेड़ों की कटाई शामिल है, जिससे वन्यजीव आवास और जैव विविधता प्रभावित होती है।
- **अंतर-राज्यीय प्रतिपूरक वनीकरण:** अरुणाचल के उच्च वन क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश के 14 जिलों में 5,466 हेक्टेयर क्षरित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण की अनुमति दी गई है।
- **न्यायिक मिसाल का तालमेल:** यह मंजूरी अगस्त 2009 के सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश के अनुरूप है, जिसमें स्थायी समिति द्वारा योग्यता के आधार पर अपस्ट्रीम सुबनसिरी प्रस्तावों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी।
- **व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन:** ईएसी ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली योजना (Ecosystem Restoration Plan) को अनिवार्य करते हुए ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के जोखिमों, चरम निर्वहन और डाउनस्ट्रीम बांध टूटने के परिदृश्यों का मूल्यांकन किया।



आवश्यक परिभाषाएं

- **रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजना (Run-of-the-River Hydroelectric Project):** एक ऐसी सुविधा जो न्यूनतम जल भंडारण के साथ नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है, जिससे पारंपरिक बांधों की तुलना में अपस्ट्रीम में कम जलभराव होता है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF):** एक नियामक वित्तीय तंत्र जिसके तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को मोड़ने वाली एजेंसियों को कहीं और समकक्ष वनीकरण के लिए धन देना अनिवार्य होता है।
- **विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC):** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक तकनीकी निकाय, जिसे परियोजना की मंजूरी से पहले पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है।
- **ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ (GLOF):** बर्फ या भूस्खलन के खिसकने या संरचनात्मक बांध की विफलता के कारण किसी हिमनद झील से एकत्र जल का अचानक से भारी मात्रा में बाहर निकलना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 / वन अधिनियम:** गैर-वन विकास के लिए वन भूमि के डायवर्जन को नियंत्रित करता है, जिसके लिए अनिवार्य स्टेज-1 और स्टेज-2 मंजूरी तथा प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता होती है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 को अधिकृत करता है, जो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य बनाता है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016:** यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) के प्रबंधन हेतु वैधानिक सहायता प्रदान करता है कि अप्रयुक्त धन का पारदर्शी उपयोग हो।

- **संवैधानिक जनादेश (अनुच्छेद 48A और 51A(g)):** अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों पर वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का मौलिक कर्तव्य आयोजित करता है।

निष्कर्ष

सुबनसिरी अपर जलविद्युत परियोजना के लिए ईएसी की सशर्त मंजूरी पारिस्थितिक संरक्षण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को संतुलित करने की चुनौती को उजागर करती है। जैव विविधता प्रबंधन योजना और प्रतिपूरक वनीकरण का कड़ाई से पालन ही इसकी दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता तय करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – पर्यावरण और पारिस्थितिकी (EIA, जैव विविधता की हानि, संरक्षण) और बुनियादी ढांचा (नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत विकास)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** वन संरक्षण अधिनियम के नियम, कैम्पा (CAMP) दिशानिर्देश, पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियाएं, पार-सीमा/डाउनस्ट्रीम नदी प्रभाव, और पूर्वी हिमालय में टिकाऊ बुनियादी ढांचा।

6. भारी बारिश के कारण सिक्किम के गांव में भीषण भूस्खलन

प्रमुख अंश और सारांश

- **भूस्खलन की घटना:** लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में स्थित रिम्बी गांव में भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ।
- **बुनियादी ढांचे पर प्रभाव:** भूस्खलन ने कई आवासीय घरों और सरकारी आवासों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि मलबे ने रिहाइशी इलाकों को घेर लिया और क्षेत्रीय सड़क संपर्क को बाधित कर दिया।
- **हताहतों की स्थिति और क्षति का आकलन:** अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, और स्थानीय अधिकारियों ने संरचनात्मक क्षति के पूर्ण पैमाने का आकलन करने के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी है।
- **राज्य कार्यपालिका की प्रतिक्रिया:** मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जमीनी स्थिति को "गंभीर" बताया और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा।
- **भूगर्भीय संवेदनशीलता:** मिट्टी के अत्यधिक गीला होने (saturation) के कारण क्षेत्र में पहाड़ियों की ढलानें अत्यधिक अस्थिर बनी हुई हैं, जिससे जारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच माध्यमिक ढलान विफलता का खतरा बढ़ गया है।
- **बार-बार होने वाले हिमालयी खतरे:** यह घटना उत्तरी सिक्किम के नागा अभयारण्य में थेंग सुरंग के पास हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद हुई है, जो पूर्वी हिमालय में सिस्टमिक भू-भाग की अस्थिरता को रेखांकित करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **भूस्खलन (Landslide):** गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान, मलबे या मिट्टी के द्रव्यमान का ढलान से नीचे की ओर खिसकना, जो अक्सर भारी वर्षा, भूकंपीय गतिविधियों या ढलान के नीचे की कटाई के कारण होता है।
- **ढलान की अस्थिरता (Slope Instability):** एक भूगर्भीय स्थिति जहां पहाड़ी के किनारे अपरूपण तनाव (shear stress) मिट्टी या चट्टान की अपरूपण शक्ति से अधिक हो जाता है, जिससे संरचनात्मक ढलान विफल हो जाता है।
- **मलबा प्रवाह (Debris Flow):** मिट्टी, पानी, चट्टान और कार्बनिक पदार्थों का एक तेजी से बहने वाला तरल द्रव्यमान जो तीव्र वर्षा के दौरान तीव्र नालों से नीचे बहता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार भारत में शीर्ष वैधानिक निकाय।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** शमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को निष्पादित करने के लिए NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs), और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (DDMAs) की स्थापना के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसे न्यायिक मिसालें रोकथाम योग्य प्राकृतिक खतरों और पर्यावरणीय सुरक्षा से सुरक्षा के अधिकार के रूप में मानती हैं।
- **संवैधानिक आवंटन (सातवीं अनुसूची):** व्यापक वैधानिक व्याख्या के माध्यम से समवर्ती सूची (सूची III) के तहत आपदा प्रबंधन कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त नीति निष्पादन शामिल है।
- **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019):** एक नीतिगत ढांचा जो ढलान स्थिरीकरण के लिए भूस्खलन खतरा जोनेशन मैपिंग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और बायो-इंजीनियरिंग तकनीकों को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष

रिम्बी गांव में हुआ भूस्खलन तीव्र मानसूनी वर्षा के तहत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की गंभीर भूगर्भीय नाजुकता को रेखांकित करता है। लोगों के जीवन और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए आपदा के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय जोखिम जोनेशन, संरचनात्मक ढलान स्थिरीकरण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से अग्रिम जोखिम शमन की ओर बढ़ना बेहद आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – आपदा और आपदा प्रबंधन (भूस्खलन, जोखिम न्यूनीकरण उपाय) एवं सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I – भौतिक भूगोल (भू-आकृति विज्ञान, हिमालयी नाजुकता)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** डीएम अधिनियम 2005 के तहत संस्थागत ढांचा, राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मैपिंग (NLSM), जलवायु-प्रेरित प्राकृतिक खतरे, संवेदनशील ढलानों का इको-रेस्टोरेशन, और टिकाऊ हिमालयी बुनियादी ढांचा विकास।

7. आईआईटी-दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाले उपकरणों के लिए स्वदेशी ग्राफिक्स चिप विकसित की

प्रमुख अंश और सारांश

- **स्वदेशी सेमीकंडक्टर नवाचार:** आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक प्रोग्राम योग्य माइक्रो-ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) का निर्माण किया है, जो भारत के पहले चालू, स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो-जीपीयू प्रोटोटाइप को चिह्नित करता है।
- **एंबेडेड अनुप्रयोगों पर ध्यान दें:** यह प्रोसेसर संसाधन-गहन उच्च-स्तरीय एआई प्रोसेसिंग के बजाय कम लागत वाले एंबेडेड उपकरणों के लिए बुनियादी ग्राफिक्स रेंडरिंग और डिस्प्ले सिस्टम पर केंद्रित है।
- **वास्तविक दुनिया में उपयोगिता:** प्रमुख संभावित अनुप्रयोगों में औद्योगिक नियंत्रण पैनल, ई-रिक्षा डैशबोर्ड नेविगेटर, शैक्षिक ई-रीडर और अंतर्देशीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के नेविगेशन डिस्प्ले शामिल हैं।
- **हार्डवेयर आर्किटेक्चर:** स्पार्टन-7 फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे (FPGA) प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज (RTL) का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया, जो लचीले डिजाइन पुनर्गठन की अनुमति देता है।
- **सिलिकॉन प्राप्ति का मार्ग:** भविष्य की विकास योजनाओं में 8-16कोर वेक्टर-शैली ग्राफिक्स आर्किटेक्चर की ओर विस्तार करना और एक समर्पित 65नैनोमीटर एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASIC) का निर्माण करना शामिल है।
- **आयात निर्भरता कम करना:** वर्तमान में, भारत लगभग सभी जीपीयू का आयात करता है; स्वदेशी माइक्रो-जीपीयू आईपी घरेलू हार्डवेयर डिजाइन क्षमताओं को मजबूत करता है और सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU):** छवियों, ग्राफिक्स और वीडियो आउटपुट के निर्माण को तेज करने के लिए मेमोरी को हेरफेर और बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
- **फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे (FPGA):** निर्माण के बाद ग्राहक या डिजाइनर द्वारा कॉन्फ़िगर किए जाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक एकीकृत सर्किट, जो चिप डिज़ाइन के लिए एक लचीले परीक्षण बेड के रूप में कार्य करता है।
- **एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASIC):** सामान्य-उद्देश्य के उपयोग के बजाय किसी विशेष उपयोग या अनुप्रयोग के लिए अनुकूलित एक एकीकृत सर्किट।
- **रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज (RTL):** रजिस्ट्रों के बीच डेटा प्रवाह को मॉडल करने के लिए डिजिटल सर्किट डिजाइन में उपयोग की जाने वाली एक उच्च-स्तरीय हार्डवेयर विवरण भाषा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर एक समर्पित व्यावसायिक प्रभाग जो एक टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचा स्थापित करता है।

- **सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन अधिनियम, 2000:** मूल सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट और डिजाइन आर्किटेक्चर के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने वाला वैधानिक ढांचा।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE) 2019:** चिप डिजाइन प्रोत्साहन के माध्यम से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग (ESDM) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है।
- **संवैधानिक आवंटन (सातवीं अनुसूची):** सूची I (संघ सूची) के तहत प्रविष्टि 69 (उच्च शिक्षा और अनुसंधान) और प्रविष्टि 68 (प्रमुख केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थान) अकादमिक अनुसंधान एवं विकास निधि पर संघीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

आईआईटी दिल्ली द्वारा स्वदेशी माइक्रो-जीपीयू का विकास बौद्धिक संपदा और हार्डवेयर डिजाइन में बढ़ती भारतीय क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। एफपीजीए (FPGA) प्रोटोटाइप को स्केलेबल एसआईसी (ASIC) सिलिकॉन चिप्स में परिवर्तित करना कम लागत वाले डिजिटल हार्डवेयर को सुलभ बनाने और डिजिटल विभाजन को पाटने में सहायक होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स) एवं सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – समावेशी विकास (डिजिटल विभाजन को पाटना)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), डिजाइन लिंक इंसेटिव (DLI) योजना, हार्डवेयर बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण, FPGA बनाम ASIC डिजाइन कार्यप्रवाह, और महत्वपूर्ण हार्डवेयर घटकों में रणनीतिक आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत)।

8. कमजोर होते संयुक्त राष्ट्र में संस्थागत सुधार की आवश्यकता

प्रमुख अंश और सारांश

- **संयुक्त राष्ट्र के अधिकार का क्षरण:** प्रमुख शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक भू-राजनीतिक विखंडन संघर्षों को सुलझाने और अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं।
- **हथियाबंद अंतर-निर्भरता (Weaponised Interdependence) का प्रभाव:** एकतरफा दंडात्मक उपाय, क्षेत्रीय सीमाओं से परे तकनीकी प्रतिबंध और वित्तीय नाकेबंदी संयुक्त राष्ट्र की निगरानी को दरकिनार करते हैं, जिससे छोटी अर्थव्यवस्थाएं असुरक्षित हो जाती हैं।
- **सुरक्षा परिषद का गतिरोध:** स्थायी सदस्यों (P5) द्वारा वीटो पावर का प्रयोग बड़े अंतरराष्ट्रीय संकटों के दौरान बार-बार निर्णायक सामूहिक कार्रवाई को पंगु बना देता है।
- **उभरती हुई प्रौद्योगिकीय शासन (Technological Governance):** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से विकास महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियां पैदा करता है, जिसके लिए समावेशी वैश्विक नियमन की आवश्यकता है जहां विकासशील देशों की भी आवाज हो।

- **बहुपक्षीय गठबंधन निर्माण:** 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म' (P4M) जैसे उभरते मंच राष्ट्रों को आर्थिक अंतर-निर्भरता को संबोधित करने और सहयोगात्मक वैश्विक शासन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाते हैं।
- **यूएनएससी की गैर-स्थायी सीट के लिए दावेदारी:** भारत ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण को बढ़ाने और संरचनात्मक सुधारों को चलाने के लिए ताजिकिस्तान के खिलाफ 2028-2029 के कार्यकाल के लिए एक गैर-स्थायी यूएनएससी सीट का सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस (Weaponised Interdependence):** अन्य राष्ट्रों पर एकतरफा दंडात्मक दबाव डालने के लिए शक्तिशाली राज्यों द्वारा केंद्रीकृत वैश्विक आर्थिक, तकनीकी या वित्तीय नेटवर्क का शोषण करना।
- **P5 वीटो पावर:** सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को दिया गया वैधानिक अधिकार कि वे अंतरराष्ट्रीय समर्थन की परवाह किए बिना किसी भी महत्वपूर्ण मसौदे को खारिज कर सकते हैं।
- **पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म (P4M):** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, आर्थिक स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग को एकतरफा दबावों से बचाने के लिए शुरू की गई एक क्रॉस-क्षेत्रीय राजनयिक पहल।
- **ग्लोबल साउथ (Global South):** एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकासशील, उभरते और कम आय वाले देशों को संदर्भित करने वाला एक सामूहिक शब्द जो न्यायसंगत वैश्विक शासन प्रतिनिधित्व चाहते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 108:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर की संशोधन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसके लिए महासभा में दो-तिहाई वोट और सभी P5 राज्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 27(3):** सुरक्षा परिषद में मतदान तंत्र को स्थापित करता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रक्रियात्मक निर्णयों के अलावा अन्य सभी निर्णयों के लिए स्थायी सदस्यों के सहमत वोटों सहित नौ सकारात्मक वोटों की आवश्यकता होती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का निर्देश देते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 377(V):** इसे "शांति के लिए एकजुटता" (Uniting for Peace) प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जो सर्वसम्मति की कमी के कारण सुरक्षा परिषद के विफल होने पर यूएनजीए (UNGA) को सामूहिक कार्रवाई की सिफारिश करने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र के कमजोर होते अधिकार नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था से समझौता करते हैं और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार में सक्रिय जुड़ाव भारत जैसी

उभरती शक्तियों को संप्रभु हितों की रक्षा करने, तकनीकी समानता सुनिश्चित करने और एक समावेशी वैश्विक निर्णय लेने के ढांचे की वकालत करने की अनुमति देता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – अंतरराष्ट्रीय संबंध (महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, मंच और भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** यूएनएससी संरचनात्मक सुधार, P5 वीटो पावर की कार्यप्रणाली, संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन प्रावधान (अनुच्छेद 108), ग्लोबल साउथ की वकालत, वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस, और यूएनएससी 2028-2029 के लिए भारत की उम्मीदवारी।

9. केरल ने केंद्र से ईको-सेंसिटिव एरिया को केवल वनों तक सीमित करने का आग्रह किया

प्रमुख अंश और सारांश

- **ईएसए (ESA) क्षेत्र को सीमित करने की सिफारिश:** केरल सरकार ने केंद्र को औपचारिक सिफारिशें सौंपी हैं, जिसमें पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) की स्थिति को 8,590.69 वर्ग किमी तक सीमित करने का अनुरोध किया गया है।
- **बसावट वाले क्षेत्रों को बाहर रखना:** राज्य सरकार ने अंतिम ईएसए ढांचे से आबादी वाले क्षेत्रों, कृषि योग्य कृषि भूमियों और बागानों को बाहर रखने की पुरजोर वकालत की।
- **गांवों की संख्या में कमी:** केरल के प्रस्ताव के तहत, ईएसए-नामांकित गांवों की संख्या 131 से घटकर 98 हो जाएगी, जिससे 33 घनी आबादी वाली मानव बस्तियां इस प्रतिबंधात्मक व्यवस्था से बाहर रहेंगी।
- **राज्य जनसांख्यिकी और भौगोलिक तर्क:** केरल ने अपने अनूठे भौगोलिक परिदृश्य को रेखांकित किया, जो उच्च जनसंख्या घनत्व और 29.15% वन आवरण द्वारा विशेषता प्रस्तुत करता है। राज्य का तर्क है कि अतिरिक्त भूमि प्रतिबंध स्थानीय आजीविका को नुकसान पहुंचाते हैं।
- **ऐतिहासिक मसौदे का विकास:** केंद्र का वर्तमान मसौदा 9,993.7 वर्ग किमी को ईएसए के रूप में प्रस्तावित करता है। पिछले प्रस्ताव कस्तूरीरंगन समिति के शुरुआती 13,108 वर्ग किमी से लेकर 2014 से जुलाई 2026 तक के विभिन्न मसौदों के बीच रहे हैं।
- **अंतिम समाधान की मांग:** राज्य ने पिछले एक दशक में जारी बार-बार के मसौदा ज्ञापनों को बदलने और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए एक स्थायी अधिसूचना का अनुरोध किया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA):** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील परिदृश्यों के आसपास का वह अधिसूचित बफर क्षेत्र जहाँ गिरावट को रोकने के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक और विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित किया जाता है।
- **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP):** माधव गाडगिल के नेतृत्व वाली समिति (2010), जिसने श्रेणीबद्ध प्रतिबंधों के साथ पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से नाजुक घोषित करने की सिफारिश की थी।
- **उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह (HLWG):** के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समिति (2013), जिसने पश्चिमी घाटों को "प्राकृतिक परिदृश्य" (संरक्षण के लिए) और "सांस्कृतिक परिदृश्य" (मानव गतिविधि के लिए) में विभाजित किया था।
- **रेड श्रेणी के उद्योग:** अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें नामांकित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर संचालन करने से कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (धारा 3):** पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा के लिए ईएसए को सीमांकित करने और पर्यावरणीय मानक निर्धारित करने सहित सभी आवश्यक उपाय करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010:** वैधानिक न्यायिक निकाय जिसे पर्यावरणीय अधिकारों को लागू करने, ईएसए अनुपालन की निगरानी करने और पारिस्थितिक विवादों का फैसला करने का काम सौंपा गया है।
- **संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को देश के पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा, संरक्षण और सुधार करने का निर्देश देते हैं।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की रक्षा करता है, जो स्थानीय आजीविका सुरक्षा के साथ पारिस्थितिक संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करता है।

निष्कर्ष

ईएसए को विशेष रूप से वन क्षेत्रों तक सीमित करने का केरल का जोर नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव बस्ती के अधिकारों के साथ पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करने की प्रशासनिक चुनौती को दर्शाता है। जैव विविधता को बनाए रखते हुए टिकाऊ ग्रामीण आजीविका की रक्षा के लिए एक न्यायसंगत अंतिम अधिसूचना पर पहुंचना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – पर्यावरण और पारिस्थितिकी (संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ईको-सेंसिटिव ज़ोन) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – संघीय मुद्दे (भूमि और पर्यावरण पर केंद्र-राज्य परामर्श)।

- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन रिपोर्ट की सिफारिशों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान, पश्चिमी घाट में भूमि-उपयोग प्रबंधन, संरक्षण और विकासात्मक अधिकारों के बीच संतुलन, और संघीय वार्ता तंत्र।

10. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और नियुक्ति की गतिशीलता

प्रमुख अंश और सारांश

- **नियुक्ति की वैधता पर न्यायिक संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आंतरिक असहमति के कारण मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया।
- **न्यायिक राय और सिद्धांत:** न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने रेखांकित किया कि प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को विशेष कार्यकारी (कार्यपालिका) नियंत्रण से अलग रखा जाना चाहिए।
- **चयन समितियों का विकास:** 2023 के अधिनियम ने अनूप बरनवाल (2023) के फैसले के तहत मूल रूप से निर्धारित चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री से बदल दिया।
- **संवैधानिक मंशा:** संविधान सभा की बहसों के दौरान, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनियंत्रित कार्यकारी विवेक को रोकने के लिए अनुच्छेद 324(2) को संसदीय कानून के अधीन स्पष्ट रूप से डिजाइन किया था।
- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में हस्तक्षेप:** बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या कार्यपालिका के दबदबे वाली चयन समिति स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर करती है, जो संविधान के बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का एक मूल हिस्सा हैं।
- **प्रस्तावित संरचनात्मक सुरक्षा उपाय:** विद्वानों और न्यायविदों का सुझाव है कि सरकार और विपक्ष के बीच वास्तविक सहमति सुनिश्चित करने के लिए चयन समिति के भीतर सर्वसम्मति की आवश्यकता होनी चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अनूप बरनवाल मामला (2023):** सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला जिसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की एक अंतरिम चयन समिति स्थापित की थी।
- **मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine):** एक संवैधानिक सिद्धांत जो यह स्थापित करता है कि संसद संविधान की कुछ आवश्यक विशेषताओं, जैसे लोकतंत्र और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, को बदल या नष्ट नहीं कर सकती है।
- **अनुच्छेद 324(2):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाला संवैधानिक प्रावधान, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है।
- **कार्यकारी विवेक (Executive Discretion):** कार्यकारी शाखा को दी गई वह शक्ति जिसके तहत वह अन्य शाखाओं से अनिवार्य सहमति के बिना निर्दिष्ट कानूनी सीमाओं के भीतर निर्णय ले सकती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 324:** संसद, राज्य विधानसभाओं, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
- **मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023:** चुनाव आयुक्तों के चयन, नियुक्ति और सेवा की शर्तों के लिए वैधानिक प्रावधान स्थापित करने हेतु संसद द्वारा अधिनियमित।
- **संविधान का अनुच्छेद 141:** यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951:** चुनाव संचालन, मतदाता पंजीकरण, उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता और चुनावी विवाद समाधान के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रणाली को लेकर छिड़ी बहस विधायी प्राधिकरण और संस्थागत तटस्थता के बीच तनाव को उजागर करती है। चुनावी अखंडता में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कार्यकारी प्रतिनिधित्व को द्विदलीय सहमति जैसे मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – भारतीय संविधान (संरचनात्मक और संवैधानिक निकाय, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां)।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** अनुच्छेद 324 के निहितार्थ, चुनावी तटस्थता के संबंध में मूल संरचना का परीक्षण, 2023 के अधिनियम के प्रभाव, संसदीय विधान की न्यायिक समीक्षा, और संस्थागत स्वतंत्रता।

11. नया मॉडल द्विपक्षीय निवेश समझौता और भारत की विदेशी निवेश रणनीति

प्रमुख अंश और सारांश

- **कैबिनेट मंजूरी का चरण:** वित्त मंत्रालय ने संशोधित मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) ढांचे को अंतिम रूप दिया और औपचारिक मंजूरी के लिए कैबिनेट सचिवालय को प्रस्तुत किया।
- **त्वरित द्विपक्षीय समझौते:** भारत इस अद्यतन ढांचे के तहत कनाडा सहित प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ 4-5 द्विपक्षीय निवेश संधियों के लिए बातचीत को तेज कर रहा है।
- **घरेलू उपायों का समायोजन:** नया मॉडल निवेशकों की चिंताओं को संबोधित करता है, जो 2016 के मॉडल बीआईटी में निर्धारित कड़े 5-वर्षीय समय-सीमा से अनिवार्य स्थानीय कानूनी उपायों की समाप्ति अवधि को कम करने की लचीलापन प्रदान करता है।
- **गैर-वार्ता योग्य रेड लाइन्स:** मुख्य संप्रभु अधिकार—विशेष रूप से कराधान नीतियां और कर लगाने का संप्रभु अधिकार—अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के दायरे से सख्ती से बाहर बने हुए हैं।

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार:** यह समीक्षा पिछले वर्षों में दर्ज किए गए निचले वार्षिक आंकड़ों से उबरकर शुरुआती 2026 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह के 12 अरब डॉलर तक पहुंचने की पृष्ठभूमि में आई है।
- **रणनीतिक विदेश नीति का उद्देश्य:** बीआईटी ढांचे का आधुनिकीकरण केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है ताकि भारत को निवेशकों के अनुकूल बनाया जा सके और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ताओं का समर्थन किया जा सके।



आवश्यक परिभाषाएं

- **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT):** दो संप्रभु देशों के बीच एक पारस्परिक समझौता जो निजी सीमा पार निवेशों के लिए कानूनी नियम, अधिकार और सुरक्षा स्थापित करता है।
- **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS):** एक तटस्थ अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण तंत्र जो विदेशी निवेशकों को संविदात्मक या संधि उल्लंघनों के लिए सीधे मेजबान राज्य सरकारों के खिलाफ मौद्रिक क्षतिपूर्ति मांगने में सक्षम बनाता है।
- **स्थानीय उपायों की समाप्ति (ELR):** एक प्रथागत सिद्धांत जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता दावे दर्ज करने से पहले मेजबान देश की अदालतों में कानूनी विवाद समाधान की तलाश करना आवश्यक होता है।
- **मॉडल बीआईटी:** किसी देश द्वारा विकसित एक मानकीकृत कानूनी टेम्पलेट जो द्विपक्षीय निवेश वार्ताओं के दौरान एक संदर्भ मसौदे के रूप में कार्य करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 253:** संसद को अन्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार संधि वार्ताओं, अंतरराष्ट्रीय समझौतों और विदेशी संबंधों से संबंधित सभी मामलों तक करता है।
- **प्रविष्टि 14, संघ सूची (सातवीं अनुसूची):** केंद्र सरकार में विदेशी देशों के साथ संधियां और समझौते करने पर विशेष विधायी अधिकार निहित करती है।
- **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:** वाणिज्यिक मध्यस्थता, विदेशी फैसलों के प्रवर्तन और विवाद समाधान पर न्यायिक देखरेख को नियंत्रित करने वाली घरेलू कानूनी प्रक्रिया को परिभाषित करता है।

निष्कर्ष

मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि को अद्यतन करना नियामक स्वायत्तता के साथ निवेशक अधिकारों को संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य कराधान अधिकारों की रक्षा करते हुए घरेलू कानूनी उपाय धाराओं में लचीलापन लाकर, भारत वैश्विक निवेशक विश्वास का निर्माण करने और निरंतर विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – भारतीय अर्थव्यवस्था (संसाधनों का जुटाव, निवेश मॉडल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) एवं सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – द्विपक्षीय समझौते और अंतरराष्ट्रीय संबंध।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** भारत के मॉडल बीआईटी का विकास (2016बनाम 2026पुनर्मूल्यांकन), राज्य की नियामक संप्रभुता के साथ निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) को संतुलित करना, स्थानीय कानूनी उपाय धारा, संप्रभु कराधान अधिकारों की सुरक्षा, और पूंजी आकर्षण रणनीतियां।

12. शांति (SHANTI) अधिनियम के तहत EPR प्रौद्योगिकी की तैनाती और नियामक सुधार

प्रमुख अंश और सारांश

- **द्विपक्षीय परमाणु वार्ता:** ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीईए (CEA), एनटीपीसी (NTPC), और एनपीसीआईएल (NPCIL) के वरिष्ठ अधिकारियों ने यूरोपीय प्रेसराइज्ड रिएक्टर्स (EPRs) की तैनाती का मूल्यांकन करने के लिए फ्रांसीसी ऊर्जा दिग्गज इलेक्ट्रीसाइट डी फ्रांस (EDF) के साथ बातचीत की।
- **स्थानीयकरण और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र:** ईडीएफ (EDF) ने बड़े पैमाने पर घटकों के स्थानीयकरण को सक्षम करने और भारतीय औद्योगिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए एक एकीकृत घरेलू विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर जोर दिया।
- **शांति (SHANTI) अधिनियम का कार्यान्वयन:** चर्चाएं 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (SHANTI) अधिनियम के तहत मसौदा नियमों को चालू करने पर केंद्रित थीं, जिन्हें हाल ही में हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए प्रकाशित किया गया था।
- **निजी भागीदारी के लिए द्वार खोलना:** नया नियामक ढांचा भारत के कड़ाई से विनियमित नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों और कैप्टिव पीढ़ी के लिए खोलकर एक नीतिगत बदलाव का संकेत देता है।
- **मल्टी-रिएक्टर रणनीतिक रोडमैप:** ईडीएफ ने दोहराया कि एक बड़े, बहु-रिएक्टर कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध होना विक्रेता का विश्वास प्रदान करता है और परमाणु परियोजना निष्पादन में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था (economies of scale) प्रदान करता है।
- **वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की रुचि:** भारत के परमाणु नियामक तंत्र के आधुनिकीकरण ने फ्रांस, अमेरिका और रूस की संस्थाओं सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय परमाणु प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की वाणिज्यिक रुचि को फिर से सक्रिय कर दिया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **यूरोपीय प्रेसराइज्ड रिएक्टर (EPR):** एक जनरेशन III+ प्रेसराइज्ड वाटर रिएक्टर डिजाइन जिसमें उन्नत सुरक्षा तंत्र, उच्च तापीय दक्षता और उच्च विद्युत उत्पादन क्षमता शामिल है।
- **शांति (SHANTI) अधिनियम:** पुराने नागरिक परमाणु कानून को बदलने, सुरक्षा विनियमन को सुव्यवस्थित करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में संरचित निजी भागीदारी को सक्षम करने के लिए अधिनियमित व्यापक वैधानिक ढांचा।

- **कैप्टिव परमाणु उत्पादन:** विशिष्ट ऊर्जा-गहन औद्योगिक उद्यमों द्वारा या उनके लिए मालिकाना औद्योगिक संचालन हेतु बेसलाइन बिजली की आपूर्ति के लिए विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र।
- **परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB):** परमाणु सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू करने और तकनीकी प्राधिकरण जारी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय वैधानिक निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **शांति अधिनियम के प्रावधान और मसौदा नियम:** समग्र लाइसेंसिंग, अद्यतन नागरिक दायित्व मानदंडों और निजी निवेश के लिए वैधानिक तंत्र स्थापित करने के लिए पुराने कानूनी ढांचे को प्रतिस्थापित करता है।
- **प्रविष्टि 6, संघ सूची (सातवीं अनुसूची):** केंद्र सरकार को परमाणु ऊर्जा और इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संसाधनों पर विशेष विधायी अधिकार प्रदान करती है।
- **परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व ढांचा:** ऑपरेटर वित्तीय दायित्व, अनिवार्य बीमा जनादेश, और परमाणु घटनाओं के लिए मुआवजा तंत्र को नियंत्रित करने वाली वैधानिक व्यवस्था।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी देता है, जो राज्य को कठोर सुरक्षा, पर्यावरण और विकिरण निगरानी प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए बाध्य करता है।

निष्कर्ष

शांति अधिनियम के तहत भारत के परमाणु क्षेत्र के सुधार विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और घरेलू औद्योगिक एकीकरण के लिए एक आकर्षक नियामक वातावरण बनाते हैं। ईडीएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोगात्मक प्रयास सुरक्षा, आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को संतुलित करते हुए क्षमता विस्तार का समर्थन करते हैं।



SEPTEMBER 26, 2026

